पत्र संख्या–22/वि0प्रो0स0–01/2018 सा0प्र0–...11992...../

महत्वपूर्ण

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

राजेन्द्र राम,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभाग।

पटना–15, दिनांक– 6 सितम्बर, 2018.

विषय– बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष/सदस्य की अध्यक्षता में गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक में समिति के सदस्यों की उपलब्धता/उपस्थिति सुनिश्चित किये जाने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार कहना है कि उपर्युक्त विषयक बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक–5/प्रो0–09–01/2016 (1049)/लो0से0आ0, दिनांक–17.07.2018 के द्वारा मुख्य सचिव, बिहार को अवगत कराया गया है कि विभिन्न विभागों से संबंधित बिहार लोक सेवा आयोग को प्राप्त प्रोन्नति विषयक मामलों के विचारार्थ गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक में समिति के सदस्य/विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होते हैं और न ही, संबंधित विभाग द्वारा बैठक स्थगित किये जाने की सूचना आयोग को दी जाती है।

2. उल्लेखनीय है कि "प्रोन्नति समिति" की पूर्व निर्धारित बैठक में समिति के सदस्यों/विभागीय प्रतिनिधि की बगैर सूचना के अचानक अनुपस्थिति से बैठक स्थगित करनी पड़ती है। निर्धारित बैठक स्थगित करने से जहाँ एक ओर आयोग का बहुमूल्य समय नष्ट होता है तथा इसका प्रभाव आयोग के अन्य कार्यों पर पड़ता है, वहीं ससमय सरकारी कर्मियों को प्रोन्नति नहीं मिल पाती है। कर्मियों को ससमय प्रोन्नति का लाभ नहीं मिलने से इसका दुष्प्रभाव सरकार के अन्य कार्यों पर भी पड़ता है।

3. अतः अनुरोध है कि बिहार लोक सेवा आयोग में निर्धारित विभागीय प्रोन्नति समितियों की बैठक में समिति के सदस्यों तथा विभागीय प्रतिनिधि की उपस्थिति कृपया सुनिश्चित किया जाय। अपरिहार्य कारणवश बैठक स्थगित होने की अग्रिम सूचना अनिवार्य रूप से आयोग को दिया जाय ताकि आयोग का बहुमूल्य समय नष्ट नहीं हो।

विश्वासभाजन

(राजेन्द्र राम) 6/9/18
सरकार के अपर सचिव।